अपील भरण पोषण **प्रकरण संख्या 07/2021.**(GCMS : 2021/213) **1. विनोद कुमार भम्बरी** पुत्र पुरूषोतम भम्बरी आयु करीब 77 साल **2. शिक्षा भम्बरी** पत्नी विनोद कुमार भम्बरी आयु करीब 78 साल निवासीयान 35 थर्ड ब्लॉक ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर वर्तमान अस्थायी निवास 70 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर **<u>बनाम</u> 1. संजय कुमार** पुत्र विनोद कुमार भम्बरी **2. प्रतिभा पत्नी संजय कुमार 3. मनीत भम्बरी पुत्र संजय कुमार निवासीगण 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री विनोद कुमार भम्बरी के प्रार्थना पत्र पर श्री सुभाष मिढा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 05.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित आये थे तथा अप्रार्थी संख्या 03 इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री सुभाष मिढा ने कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 4, 5, 21, 23 के तहत पेश किया था कि प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थी संख्या 1 उनका पुत्र, अप्रार्थी संख्या 2 उनकी पुत्रवधु तथा अप्रार्थी संख्या 3 उनका पौता है। **प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लागत से मकान नं. 35 थर्ड ब्लॉक ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर खरीद किया हुआ है तथा निर्माण कार्य करवाया हुआ है, जि**सके कागजात बैंक के लॉकर में रखे हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का विवाह दिनांक 15.10.2002 को बिना किसी दान दहेज के हुआ था, विवाह के उपरांत वे अहमदाबाद में निवास करते थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 टाटा कम्पनी में सेवारत रहा तथा कई स्थानों पर निवास करते रहे, बाद में [illegible]गढ में भी निवास किया, अब वर्तमान में 35 थर्ड ब्लॉक में निवास कर रहे है। प्रार्थीयान की पुत्रवधु व पौते के द्वारा प्रार्थीयान पर अनुचित दबाव डालकर पूरे मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा और इसे लेकर आए दिन प्रार्थीयान के साथ झगडा फसाद भी किया जाता रहा। अप्रार्थी संख्या 2 के पिता विनोद बहल राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है तथा उसके राजनैतिक प्रभाव होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का व्यवहार प्रार्थीयान के साथ अच्छा नहीं रहा। पूर्व में प्रार्थीयान का पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 उन्हें निर्वाह भत्ता देता था जिसमें प्रार्थीयान का मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में रहकर अपना जीवन यापन करते रहे, अब दिनांक 05.04.2021 को अप्रार्थीयान ने उन्हें घर से निकाल दिया और सारे समान पर कब्जा कर लिया। अतः **अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर प्रार्थीयान को निर्वाह भत्ता के रूप में 10,000/— रूपये दिलवाया जाने तथा प्रार्थीयान वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रार्थीयान को मकान नं. 34 थर्ड ब्लॉक ग्रीन पार्क के पास पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का कब्जा तुरंत प्रभाव से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।**

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने इस न्यायालय के समक्ष अपना कोई जवाब, साक्ष्य या लिखित बहस आज दिनांक तक पेश नहीं की है और अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 27.12.2021 एवं अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 05.01.2022 के अतिरिक्त किसी भी पेशी मे कार्यालय में उपस्थित नहीं आये है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण विनोद कुमार भम्बर एवं शिक्षा भम्बरी वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थी संख्या 1 उनका पुत्र, अप्रार्थी संख्या 2 उनकी पुत्रवधु तथा अप्रार्थी संख्या 3 उनका पौता है। **अपीलार्थी संख्या 1 ने अपनी लागत से मकान नं. 35 थर्ड ब्लॉक ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर खरीद किया हुआ है तथा निर्माण कार्य करवाया हुआ है, जि**सके कागजात बैंक के लॉकर में रखे हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का विवाह दिनांक 15.10.2002 को बिना किसी दान दहेज के हुआ था, विवाह के उपरांत वे अहमदाबाद में निवास करते थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 टाटा कम्पनी में सेवारत रहा तथा कई स्थानों पर निवास करते रहे, बाद में जिरकपुर चण्डीगढ में भी निवास किया, अब वर्तमान में 35 थर्ड ब्लॉक में निवास कर रहे है। प्रार्थीयान की पुत्रवधु व पौते के द्वारा प्रार्थीयान पर अनुचित दबाव डालकर पूरे मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा और इसको लेकर आए दिन उनके साथ झगडा फसाद भी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जाता रहा। अप्रार्थी संख्या 2 के पिता विनोद बहल राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है तथा उसके राजनैतिक प्रभाव होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का व्यवहार प्रार्थीयान के साथ अच्छा नहीं रहा। पूर्व में प्रार्थीयान का पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 उन्हें निर्वाह भत्ता देता था जिसमें प्रार्थीयान का मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में रहकर अपना जीवन यापन करते रहे, अब दिनांक 05.04. 2021 को अप्रार्थीयान ने उन्हें घर से निकाल दिया और सारे समान पर कब्जा कर लिया। अतः **अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर प्रार्थीयान को निर्वाह भत्ता के रूप में 10,000/— रूपये दिलवाया जाने तथा प्रार्थीयान वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रार्थीयान को मकान नं. 34 थर्ड ब्लॉक ग्रीन पार्क के पास पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का कब्जा तुरंत प्रभाव से दिलया जाने की प्रार्थना की है।**

अप्रार्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी लिखित बहस उल्लेख किया है कि उसका पुत्र नाबालिग है। अप्रार्थी संख्या 2—प्रतिभा ने एक एफआईआर नं 116/2021 महिला थाना, श्रीगंगानगर में करवार रखी है तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, श्रीगंगानगर में भी प्रकरण पेश किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है इसलिए वह अपने पति पर निर्भर है, जिसे आवेदकगण ने उकसाकर बहलाकर भरण पोषण देने से मना कर दिया है। इसलिए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैनें, अपालार्थी की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थीगण ने [illegible] पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 [illegible] धारा 4,5,21,23 के अन्तर्गत एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया था, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना निर्णय निम्नानुसार पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

साथ ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीया के मध्य माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण विचाराधीन होना अभिकथित किया गया है जिसका प्रार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में भी जैरकार है। इस स्थिति में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार करने की सहमति दी गई हैं अतः सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी के निवास, रहने, खाने एवं सामान्य जीवन निर्वाह की व्यवस्था करें। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए माह नवम्बर 2021 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 3000/— रूपये अखरे रूपये तीन हजार प्रार्थी को अदा करेगा। उक्त राशि अप्रार्थी को प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी जिसके लिये प्रार्थी अपना बैंक खाता अप्रार्थी को अपने स्तर से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। यह निर्णय माननीय सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सिंह रतनू)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 23.11.2021 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2021 मकान खाली करवाने की हद तक अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश दिया गया है, को निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 2 से मकान खाली करवाने का भी आदेश पारित किया जावे।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अवयस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार पुत्रवधु एवं अवयस्क सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है **इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 —पुत्रवधु है और अप्रार्थी संख्या 3 नाबालिग है, इसलिए अपीलार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

अप्रार्थी संख्या 01 संजय भम्बरी, अपीलार्थी विनोद भम्बरी एवं शिक्षा भम्बरी ने माननीय उच्च न्याय[illegible]क अप्रार्थी संख्या 2 प्रतिभा भम्बरी द्वारा महिला पुलि[illegible] एफआईआर नं. 116/2021 **के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैटीशन संख्या 2991/2021 भी दायर की हुई है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्रार्थी संख्या 2— प्रतिभा ने लिखित बहस पेश की हुई है, जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 का विवाह अप्रार्थी संख्या से दिनांक 15.10.2002 को हुआ है और विवाह के उपरान्त दोनों पति पत्नी अमृतसर,भिवानी, चण्डीगढ, दिल्ली, जमशेदपुर, अहमदाबाद में निवास करते रहे है अब वर्तमान में 35 थर्ड ब्लॉक, श्रीगंगानगर में निवास कर रहे है। इससे पता चलता है कि वे विवाह दिनांक 15.10.2002 से लगातार उक्त मकान 35 थर्ड ब्लॉक, श्रीगंगानगर में निवास नहीं कर रहे है।

अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 **अपने प्रार्थना पत्र के साथ पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न की है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी विनोद कुमार भम्बरी ने उक्त विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर श्रीमती हरदीप कौर से खरीदशुदा हैं अर्थात उक्त विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर अपीलार्थी विनोद कुमार भम्बरी की स्वःअर्जित सम्पत्ति है। 2019(3) आरएलडब्ल्यू 2061(राज.) अनवानी ललिता कंवर बनाम समेर सिंह में निम्न प्रकार से उल्लेख किया है :**

> माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण –पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, धारा 2(ख)(ञ), 4,5,6 – बच्चे और पौत्र की बेदखली – न्यायालय की अधिकारिता – 2007 के अधिनियम के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण को बेदखली का आदेश करने की शक्ति और अधिकारिता प्रदान की गई है – धारा 3 के अनुसार 2007 के अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव है – पिता और माता की स्वअर्जित सम्पत्ति पर पुत्र और पुत्रवधु किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते– अभिनिर्धारित – आदेश अधिकारिता विहीन नहीं है अतः बहाल रखा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि **उक्त विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर अपीलार्थी विनोद कुमार भम्बरी की स्वः अर्जित सम्पत्ति है** इसलिए माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 एवं उक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार **उक्त विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर पर अपीलार्थी विनोद कुमार भम्बरी का सम्पूर्ण अधिकार है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 संजय कुमार, अप्रार्थी संख्या 2 प्रतिभा एवं अप्रार्थी सख्या 3 मनीत भम्बरी का उक्त विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर पर कोई किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 उक्त विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को खाली करने के आदेश दिया जाना उचित होगा।**

चूंकि अप्रार्थी प्रतिभा पत्नी संजय कुमार जो वर्तमान में विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर में निवास कर रही है और जो अपने पति संजय कुमार पर पूर्ण रूप से आश्रित है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 संजय कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त मकान से अलग अन्य मकान पर अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के सामान्य जवीन निर्वाह की पूर्ण व्यवस्था करें।

चूंकि उक्त विवादित मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर **अपीलार्थी विनोद कुमार भम्बरी का स्वःअर्जित है इसलिए उक्त मकान पर सम्पूर्ण [illegible] अपीलार्थी विनोद कुमार का भम्बरी का है ओर उक्त सम्पत्ति पर पुत्र और [illegible] किसी प्रकार से दावा नहीं कर सकते। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी विनोद कुमार भम्बरी का उक्त मकान 35 थर्ड ब्लॉक, ग्रीन पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को खाली कर देवें।** साथ ही अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए उसे सामान्य जीवन निर्वाह की समस्त व्यवस्था करेगें और माह मई 2022 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 3000/— अपीलार्थी को अदा करेगें। अपीलार्थी अपना बैंक खाता अप्रार्थी संख्या 01 संजय भम्बरी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested